तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible] 6/2022
[illegible]	वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
[illegible]	वकील वादीगण उप। साक्ष्य वादी में वादी साक्षी 2 [illegible] का शपथ पत्र पेश किया और शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रतिवादी नं. 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जा चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी नं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12-03-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
12-03-2022	राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ. पक्षकार अनुपस्थित रुप/अनु/प्रकरण नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30-03-22 को प्रस्तुत हो। अध्यक्ष लोक अदालत बैंच ताल्लुका विधिक सेवा समिति श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत इस्तकरारं हक, दु[illegible]ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने [illegible] किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय [illegible]क से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। 30/03/22 (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
8/2022	2022/18	12.01.2022	30.03.2022

उनवान प्रकरण

1. किशोर पुत्र कालूराम आयु 40 वर्ष
2. झाबरमल पुत्र श्री कालूराम आयु 48 वर्ष
3. मामर पुत्र श्री कालूराम आयु 35 वर्ष
4. गंगा देवी पुत्री श्री कालूराम आयु 58 वर्ष
5. गुलाबी देवी पुत्री श्री कालूराम आयु 58 वर्ष
6. भगवती देवी पुत्री श्री कालूराम आयु 52 वर्ष
7. रमाली पुत्री जगदीश पुत्र कालूराम आयु 56 वर्ष
8. देशराज पुत्र स्व: श्री बाबूलाल आयु 20 वर्ष
9. राकेश पुत्र स्व : श्री बाबूलाल आयु 20 वर्ष
10. मीरा देवी पत्नी बाबूलाल पुत्र कालूराम आयु 45 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र ईशरा आयु 80 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्री ... प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested

20/4/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक (उद्घोषणा), दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ में कृषि भूमियॅा अवस्थित हैं किन्तु भूमियों को एकजाही करने व उनके समुचित विकास करने के उदेश्य से वादीगण के पिता/दादा/ससुर ने वर्षो पूर्व अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व भूमियों का समायोजन करते हुये एक दूसरे की भूमियों को आदान प्रदान करके बाह्मी पारिवारिक समझौता कर लिया था। जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 281 रकबा 0.82 हैक्टर अवस्थित तन् ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) अकेले प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम पुत्र ईशरा के हक में रखी गयी थी। जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम न्यायालय के माध्यम से करा लिया व वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम उक्त भूमि से हजफ करा लिया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पिता/दादा/ससुर को दी गयी भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम यथावत चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण काननून अधिकारी है। पक्षकारान् का सजरा खानदान संलग्न है। पिता/दादा/ससुर वादीगण का स्वर्गवास हो जाने से उक्त दुरूस्ती नही हो सकी। अब वादीगण ने मृत्तक कालूराम के वारिसान के बतौर विरासत का नामान्तकरण खुलवाया। तब उन्हे पता चला कि उनके पिता को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी भूमि खसरा नम्बर 499 से 528 तक कुल किता 29 रकबा 9.08 हैक्टर अवस्थित ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थाान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हिस्सा 1/24 पर यथावत चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त हिस्सा 1/24 पर वादीगण के पिता/दादा/ससुर को भूमियों को आदान प्रदान में दी गयी थी किन्तु राजस्व रिकार्ड आज भी उक्त हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही चला आ रहा हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 का पू[illegible]/ससुर वादीगण व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण बहैसियत काबिज खातेदार चला आ रहा है तथा उनके कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कभी भी कोई दखलन्दाजी किसी प्रकार की नही की किन्तु राजस्व रिकार्ड उनके नाम नही होने से उन्हे काफी सख्त हकतलफी की है तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही होने से वादीगण को अकथनीय हानि हो रही है एवं राज्य सरकार से काश्तकार को मिलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested

20/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वाली सुविधाओ से भी वंचित हो रहे है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर उसके नाम दर्ज हिस्सा 1/24 के राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है तथा उक्त अधिकारो की घोषणा हेतु वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त गलत राजस्व रिकोर्ड की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त राजस्व रिकार्ड उसके हिस्सा 1/24 का दुरूस्तीकरण हेतु कहा तो पहले तो वह हां करता रहा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व अभियान में उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आश्वासन दिया जिस पर वादीगण ने परिजन होने से प्रतिवादी संख्या 1 पर विश्वास कर लिया किन्तु पक्षकारान के ग्राम में पंचायत स्तर पर लगे राजस्व अभियान में जाकर बयान देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर देने के कारण वादकारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है। इस कारण श्रीमान के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा हस्ब कानून अन्दर मियाद सादर है। पक्षकारान् के मध्य हुये वर्षो पूर्व बाहमी आदान प्रदान के आधार पर कब्जा वादग्रस्त भूमि को पिता/दादा/ससुर वादीगण को सम्भला दिया था तब से वादीगण अपने हक हिस्से में आयी हुई भूमियों पर निरन्तर बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण भी विपरित कब्जा के आधार पर वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 की भूमि पर कानूनन खातेदार काश्तकार हो चूके है। इस कारण उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के वादीगण काननून अधिकारी है ओर उक्त अधिकारों की घोषणा हेतु वादीगण को दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने दावा पेश कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 499 से 528 तक कुल किता 29 कुल रकबा 9.08 हैक्टर अवस्थित ढाणी डेरावाली तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज उक्त 1/24 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक कों सम्पूर्ण भूमि में 1/192, 1/192 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को 1/192 हिस्से का संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 की ओर से श्री रविन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 03.02.2022 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है एंव इसके साथ ही वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा भी पेश किया है। प्रतिवादी सं. 2 के हाजिर अदालत उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी नं. 2 झाबरमल के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested

20/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

इसपर वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2048 से 2051, नामान्तकरण संख्या 394 का अवलोकन किया गया। जिनमें से जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन करने पर उक्त वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृतक ईशरा पुत्र लादू राम के वारिसान् है। प्रतिवादी संख्या 1 के पारिवारिक समझौता कर लिये जाने से उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 281 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि अकेले प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आना तथा शेष भूमियाँ वादीगण के हक में आना प्रकट होता है। जिसके कारण उक्त भूमियों से प्रतिवादी सं. 1 का कोई संबंध या सरोकार नहीं होना प्रतीत होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् की पैतृक भूमियाँ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण के द्वारा पेश वादपत्र को स्वीकार किया है। जिससे वादी साक्ष्य में पेश शपथ पत्र से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के [illegible] 128 तक कुल किता 29 कुल रकबा 9.08 हैक्टर अवस्थित ढाणी [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम [illegible] के बजाय वादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को सम्पूर्ण भूमि में 1/192, 1/192 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

का हिस्से का संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक (उद्घोषणा), दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढाणी झापाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 499 से 528 तक कुल किता 29 कुल रकबा 9.08 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज उक्त 1/24 हिस्से के स्थान पर वादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक कों सम्पूर्ण भूमि में 1/192, 1/192 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 को 1/192 हिस्से का संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:31:59 IST
Reason: SelfAttested